

जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थीं, तो उन्होंने एआईसीसी के सब दरवाजे खुलवा दिये थे, जिससे जनता उनसे मिल सके

अब, कांग्रेस फिर एक के बाद एक चुनाव हार रही है, पर, कांग्रेस मुख्यालय के सभी दरवाजे बंद करवा दिये गये हैं। जनता का प्रवेश इस मुख्यालय में केवल इजाजत व पूर्व अपॉइन्टमेंट से ही हो सकता है

-नेरू मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थीं, तो उन्होंने अपने स्टाफ को अपने घर के दरवाजे खुले रखने के आदेश दे दिये, ताकि जो व्यक्ति उनसे मिलना चाहे, वह अन्दर आ सके।

साइनबोर्ड पर लिखा है: बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। नवनिर्वाचित सिन्धुगिरिटी गाँव किसी को पहचानते नहीं हैं। इसलिये, और तो और, हरि प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता को रोक दिया गया, उन्हें अन्दर नहीं जाने दिया गया।

नये मुख्यालय में राज्य-वार मीटिंग हो रही हैं। लेकिन मुझे भर नेताओं को ही अन्दर जाने दिया जा रहा है। अन्य नेताओं को बाहर ही ठहरने को कह दिया जाता है।

ये नये आदेश किसने दिये हैं, क्योंकि ये तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चिन्तन से एकदम विपरीत हैं।

मुख्यालय की नई बिल्डिंग में लागू इस नई व्यवस्था से आम जनता व कार्यकर्ता अपने नेताओं से कटते जा रहे हैं।

आम कार्यकर्ता नेताओं के इस आचरण से कुपिठत तो हैं ही, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि पार्टी क्या मैसेज देना चाह रही है।

कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार भी परेशान हैं, उनकी प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही नए भवन में एंट्री हो पाती है, और यह एंट्री भी ग्राउण्ड फ्लोर तक ही सीमित है। हाल ही में एक महिला पत्रकार को भाग कर पुराने मुख्यालय, 24, अकबर रोड, जाना पड़ा, "वॉशरूम" का उपयोग करने के लिये।

24 अकबर रोड कार्यालय वाले स्टाफ को नये मुख्यालय में शिफ्ट नहीं किया गया है। वहाँ उनके पास कोई खास काम नहीं है, क्योंकि नेतागण वहाँ नहीं होते।

महासचिवों तथा राज्य प्रभारियों से

धीरे-धीरे कार्यकर्ताओं से दूर होते जा रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहे कि वे अपने नेताओं से कैसे मिलें तथा इस व्यवस्था की शिकायत किससे करें।

कोई कार्यकर्ता या नेता, जो अपने निजी काम से या अन्य किसी कारण से दिल्ली आता था, तो एआईसीसी मुख्यालय, 24 अकबर रोड जरूर जाता था तथा अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिला करता था, जिनमें से अधिकांश लोग कार्यालय के लॉन में इकट्ठे हो जाया करते थे।

गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता अपना अधिकांश समय लॉन में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने में गुजारते थे, जिससे कि कार्यकर्ताओं को यह संतुष्टि मिले कि वे किसी वरिष्ठ नेता से मिल लिये हैं।

नए भवन में मीडिया उस समय तक भवन में प्रविष्ट नहीं हो सकता, जब तक आमंत्रित न किया गया हो। आमंत्रण की स्थिति में भी, पत्रकार ग्राउंड फ्लोर पर स्थित ब्रीफिंग रूम तक ही जा सकते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, 06 मार्च। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सप्ताह में फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बयान के बाद दिया है। सरकार की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि हवाई जहाज के किराए को लेकर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर 7 दिन में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

उठाए सवाल के आधार पर जांच की जाएगी। सरकार के निर्णय के कारणों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ताकि यह दिखाया जा सके कि कालीकट से जेद्दा की हज यात्रा केरल के अन्य जगहों से की जाने वाली यात्रा की तुलना में अधिक महंगी क्यों है? हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात पर विवाद नहीं है कि किराया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फ्रांस ने अच्छी तरह से अमेरिका को अंगूठा दिखाया और दादागिरी स्वीकार करने से साफ इन्कार किया

फ्रांस ने रूस के खिलाफ "न्यूक्लियर हथियारों" के रक्षा कवच में पूरे यूरोप को शामिल किया तथा एक तरह से "नाटो" का विकल्प प्रस्तुत किया

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। डॉनल्ड ट्रम्प और अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। लेकिन फ्रांस ने अमेरिका से अलग होने की घोषणा कर दी है और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए फ्रांस ने अमेरिका के अस्थिर बुद्धि राष्ट्रपति के आगे झुकने से इंकार कर दिया है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका को अपने निकटतम यूरोपियन सहयोगी से इतना बड़ा झटका मिला है। फ्रांस ने रूस की तरफ से होने वाले हमलों से सुरक्षा के लिए अपने न्यूक्लियर हथियारों व रक्षा कवच को अपने तक सीमित न रखकर यूरोप के सभी देशों को इसमें शामिल किया है। यह रूस के खिलाफ नाटो (एन.ए.टी. ओ.) की साझा डिफेंस रणनीति का फ्रांसीसी विकल्प है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने देश की रणनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रभु सत्ता की घोषणा की, जो कि अन्य सम्प्रभु देशों को दबाने की अमेरिका की नीति के एकदम उलट है। यह अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के तहत बने वैस्टन सिन्धुगिरिटी एवं डिफेंस गठबंधन से एक

साथ ही, जर्मनी, इंगलैण्ड, फ्रांस ने यूरोप के अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर यूक्रेन के लिये शांति प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। दूसरी ओर अमेरिका ने सऊदी अरब में रूस के साथ बैठकर, बिना यूक्रेन को शामिल करे, यूक्रेन में युद्ध समाप्ति का समाधान "हूड" लिया। इस बैठक में यूरोप के किसी अन्य देश को आमंत्रित नहीं किया गया था।

अमेरिका ने यूक्रेन की खनिज सम्पदा के दोहन का पुरा प्लान बना लिया, बिना यूक्रेन की रजामंदी व स्वीकृति के।

फ्रांस व यूरोप के अन्य देशों के, मिल बैठकर तैयार किए गए "पीस प्लान" की प्रक्रिया में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है, बाहर रखा गया है।

फ्रांस ने यह भी वादा किया है कि एक बार शांति स्थापित हो गई तो वह यूक्रेन की सहायता के लिये अपने सैनिक भी भेजेगा।

तहर की खुली बगावत है।

इन्टरनेशनल न्यूज चैनल सी.एन.एन. के अनुसार, मैक्रों ने फ्रांस के परमाणु शस्त्रागार के बारे में कहा कि "हमारा परमाणु निरोधक कवच हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह संपूर्ण है और

सम्प्रभु है।"

उन्होंने आगे कहा कि जो भी स्थिति हो, निर्णय हमेशा रिपब्लिक के राष्ट्रपति, जो सेना का कमांडर भी हैं, के हाथ में रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हजारों भारतीय युवाओं पर "डिपोर्टेशन" की तलवार लटकी'

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। अमेरिका के वर्तमान माइग्रेशन कानूनों के तहत ऐसे हजारों भारतीयों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है जो 21 वर्ष के होने जा रहे हैं और जो एच-4 वीसा के तहत अमेरिका आए थे। ये सैल्फ डिपोर्टेशन के खतरे के साए में रह रहे हैं क्योंकि वे अपने एच-4 वीसा होल्डर माता-पिता पर निर्भर नहीं माने जायेंगे।

अभी तक उनके पास दो साल थे 21 का होने के बाद वीसा ट्रांज़िशन के लिए, पर इमिग्रेशन नीति में हालिया बदलाव के बाद उनका भविष्य संदेह के घेरे में आ गया है।

पता चला है कि इनमें से अधिकांश अन्य विकल्प तलाश रहे हैं जिनमें से केनडा व ब्रिटेन जाने का विकल्प भी है, जहाँ इमिग्रेशन नीतियाँ काफी लचीली हैं। अमेरिका के रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड सिस्टम में भारी बैकलॉग है, जो भारतीय अप्रवासियों को गैर आनुयातिक के रूप में प्रभावित कर रहा है।

यूएस सिटीजनशिप एण्ड इमिग्रेशन सर्विसेज (यू.एस.सी.आई.)

हजारों भारतीय मूल के युवा जो अब इक्कीस साल के होने वाले हैं, तकनीकी रूप से अपने एच-4 वीसा के अंतर्गत अमेरिका में कार्यरत माँ-बाप पर "डिपेंडेंट" नहीं रह गये। अतः, वे "डिपोर्ट" किये जा सकते हैं, चाहे वे अपने माँ-बाप के साथ कितने ही वर्षों से अमेरिका में रह रहे हों।

अब तक इन भारतीय युवाओं के पास एक विकल्प था कि वे दो साल में अगर अमेरिका में रोजगार पा जाते थे, तो उनके वीजा में "डिपोर्टेशन" की शर्त हट जाती थी।

पर, अब राष्ट्रपति ट्रम्प की नई पॉलिसी के अंतर्गत, यह दो साल की अवधि खत्म कर दी गई है।

एस.) ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के लिए एच-4 वीसा के रजिस्ट्रेशन की घोषणा की है। प्रक्रिया 7 मार्च से खुलेगी और 24 मार्च तक चलेगी। यह वीसा गैर इमिग्रेंट वीसा है इसके तहत अमेरिकन कम्पनियों विदेशी नागरिकों को नियुक्ति देती हैं। एक साल में ज्यादा से ज्यादा 65000 एच-4 वीसा दिए जा सकते हैं जिसमें अमेरिका से मास्टर्स डिग्री लेने वालों के लिए 20,000 की वृद्धि की जा सकती है। यूएससीआईएस

ने एक लाभार्थी केन्द्रित चयन प्रक्रिया शुरू की है ताकि फर्जीवाड़ा कम हो सके निष्पक्ष चयन सुनिश्चित हो। नई रजिस्ट्रेशन फीस 215 डॉलर है। मार्च 2023 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 1.34 लाख भारतीय बच्चे, उनके परिवारों को ग्रीन कार्ड मिलने से पहले, डिपेंडेंट वीसा की उम्र को पार करने की स्थिति में आने वाले थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में भाषा विवाद!

विवाद की शुरुआत हुई, वरिष्ठ आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी की टिप्पणी से

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। तमिलनाडु के बाद, अब भाजपा-शासित महाराष्ट्र में भी भाषा विवाद पनपता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे आरएसएस नेता सुरेश भैया जी जोशी का यह बयान था कि "मुम्बई आने वाले किसी व्यक्ति के लिये मराठी सीखना आवश्यक नहीं है।"

भाषा के प्रश्न पर अति संवेदनशीलता तथा सभी राजनैतिक दलों के राजनेताओं की कड़ी प्रतिक्रियाओं के चलते, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस को विधानसभा में खड़े होकर यह कहना पड़ा कि "मराठी मुम्बई और महाराष्ट्र की भाषा है तथा यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मराठी

भैयाजी ने कहा कि "अगर कोई बाहर से मुम्बई आता है, उसके लिये जरूरी नहीं है, वह मराठी सीखे।"

उद्धव ठाकरे ने इस टिप्पणी के बाद सार्वजनिक मांग की कि भैयाजी जोशी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिये तथा उनकी टिप्पणी महाराष्ट्र का अपमान है। ठाकरे ने आगे इस संदर्भ में कहा, केवल इसलिये कि "मराठी मानुस, सबका स्वागत करता है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसको थप्पड़ मार सकता है।"

विवाद इतना बढ़ा कि मु.मंत्री फडनवीस को विधानसभा में खड़े होकर कहना पड़ा कि "मराठी, मुम्बई की व महाराष्ट्र की भाषा है और जो भी व्यक्ति यहाँ रहता है, उसे यह भाषा बोलना, सीख लेना चाहिये।"

बोलना सीखना चाहिये।"

भाषा के मुद्दे पर आरएसएस नेता

के बयान पर विपक्षी एमवीए (महाराष्ट्र विकास अथाडी) के नेतृत्व में भारी विरोध फूट पड़ा तथा मराठी की प्रमुखता पर जोर देने वाले नारे लगाये जाने लगे। शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने मांग की कि जोशी को राजद्रोह के जर्म में गिरफ्तार किया जाना चाहिये। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि उनका बयान "महाराष्ट्र के अपमान" के बराबर है।

शिव सेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने पूछा: "क्या वे (भैयाजी) कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, लुधियाना, पटना, बंगलुरु, त्रिवेन्द्रम या हैदराबाद जाकर, ऐसा बोल सकते हैं?"

मुख्यमंत्री ने एक स्पष्टीकरण जारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सबसे पहले लाइफ इश्योरिस



एलआईसी का जीवन उत्सव

Plan No.: 771 UIN: 512N363V02

उत्सव मनाने का गारंटीड तरीका

आजीवन गारंटीड रिटर्न के साथ

ऑनलाइन भी उपलब्ध

पूर्ण आयु जीवन बीमा एवं लाभ भुगतान के विकल्प

- सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि 5 से 16 वर्ष
- प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान गारंटीकृत वृद्धि
- नियमित आय लाभ / फ्लेक्सि आय लाभ
- न्यूनतम मूल बीमा राशि 5 लाख

एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत, पूर्ण आयु जीवन बीमा योजना

आयुष्मानि कर्षे एलआईसी मोबाइल ऐप LIC India

वित्तित्त कर: licindia.in

कॉल सेक्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा कॉलसेक्टर नं. 8976862090

भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेंट/मिडिलटम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने सहर का नाम 5676474 पर एसएसएस करें

यहाँ यहाँ क्लिक करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

धोषधडी वाले फोन कॉल तथा झूठे/भ्रमक प्रस्तावों से सावधान रहें. अधिभार/अर्द्ध या इनके अनुरावी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की विक्री, बीमा की घोषणा या प्रीमियम के भिन्न, राशिगत लौटाने जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फोन कॉल मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें, कृपया विक्री के सम्बन्ध से पहले विक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें.